तारीख हुक्म		बनाम कुमलेश देवी
		डिजिशियल्स जज ... 10/2/2025

... वकीलों द्वारा कार्य ... सा० राज्य कार्य में व्यस्त ... से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 8/9/25 को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

8/9/25
पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/मा. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 10/9/25 को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

10/09/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। अप्रार्थी सं. 6 व 7 बावजूद तामील उप. नहीं। ना ही उनकी ओर से कोई विधिक प्रतिनिधि उप० आया। अतः अप्रार्थीगण सं. 6 व 7 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस की गयी। हमने वकील उभयपक्ष सुनी। दौराने बहस प्रार्थीगण वकील ने तर्क दिया कि भूमि मुतदाविया खाता सं. नया 61 पुराना 183 ख.नं. 1434/338, 1441/343, 144[illegible] 1455/396, 386 कुल किता 05 कुल रकबा 0.20 हे. जो ग्राम रीकबाली ढाणी तहसील बांदीकुई स्थित है जो प्रार्थीगण के ससुर एवं दादा स्व. श्री हरसहाय की काश्त की भूमि रही है जिसमे प्रार्थीगण वारिसान के आधार से 1/6 हिस्से की उद्घोषणा खातेदारी करवाने के अधिकारी है उक्त भूमि पर जब तक प्रार्थीगण के नाम उद्घोषणा खातेदारी नहीं हो जाती तब तक अप्रार्थीगण उक्त भूमि मुतदाविया से प्रार्थीगण के हिस्से की कब्जे, काश्त की भूमि में किसी प्रकार की

(हस्ताक्षर)

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

…मु. अ. 33 4 -2000-10 लाख फा.

APP
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

शीला देवी बनाम कैलाश वगै॰

किस्म मुकदमा T.I नं॰ 102 सन 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मजाहमत व व्यवधान पैदा करने से व प्रार्थीगण को जबरन भूमि मुतदाविया से बेदखल करने एवं उक्त भूमि मुतदाविया में अवैध निर्माण करने व अन्य दीगर व्यक्तियों को रहन, बय बेचान करने बाबत प्रतिबंधित फरमाये जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा सेपावद किये जाने बाबत निवेदन किया। अप्रार्थीगण वकील श्री वीरेन्द्र सिंह कुशवाह द्वारा दौराने बहस तर्क किया कि वादीगण के पति व पिता स्व॰ नंदकिशोर की मृत्यु दिनांक 21/06/2021 को हो चुकी है। उत्तरदातागण ने प्रार्थीगण से भूमि मुतदाविया के 1/6 हिस्से की उद्घोषणा खातेदारी कराने से इंकार नहीं किया है मृतक हरसहाय के वारिसान वादीगण एवं उत्तरदातागण का नाम जमाबंदी में बतौर काश्तकार दर्ज हो चुका है जिसमें प्रार्थीगण सं॰ 1 लगा॰ 3 प्रत्येक का 1/18, 1/18, 1/18 हिस्सा जमाबंदी में दर्ज हो चुका है प्रार्थीगण ने भूमि मुतदाविया का सरहद नरय तकासमा कराने के लिये उत्तरदातागण से कभी नहीं कहा और ना ही उत्तरदातागण ने कभी इंकार किया प्रार्थीगण के 1/6 हिस्से का तकासमा कर अलग खाता कायम कर दिया जावे तो उत्तरदातागण को कोई आपत्ति नहीं है इस बाबत दावा पत्रावली में सहमति प्रकट कर हस्ताक्षर किये। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा पत्रावली का अवलोकन किया गया।	

(हस्ताक्षर)

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहलकार जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली पेश, उप खण्ड अधिकारी ... 10.9.2025	

प्रा०पत्र का निस्तारण निम्नांकित तीन बिन्दुओं के आधार पर किया जाता है।

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

1. प्रथम दृष्टया मामला:- प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में दरवाज़ा के बिच में से रास्ता होना बताया गया है पत्रावली में मौजूद ग्राम रीछवाली दानी खाता सं. नया 61 पुराना 183 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है इसलिये प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है

(2) सुविधा का संतुलन (3) अपूरणीय क्षति:- उक्त दोनों बिन्दुओं का निर्णय सुविधा की दृष्टि से एकसाथ किया जा रहा है प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। अस्थायी निषेधाज्ञा में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रहता है तो अन्य दोनो बिन्दुओं को भी उसके पक्ष में तय नहीं किये जा सकते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा पेश प्रा०पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश है कि वादग्रस्त भूमि में दिनांक 16/06/2025 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा हटायी जाकर प्रा०पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर मूल वाद के हमराह हो।

(हस्ताक्षर) 10.9.25

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)